निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
33 /2020	28.10.2020	25.03.2021

1.अमरसिंह पुत्र श्री किशोरी उम्र जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसील वजीरपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1.लाखनसिंह पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
2.खुशीराम पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
3.दयाराम पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
4.माया पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
5.रामपति बेवा स्व. रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
6.सुरजीत पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
7.लालसिंह पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
8.धनवतीं बेवा स्व.धाधूं जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
9.बबलू पुत्र स्व.धाधूं जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
10.मोनू स्व.धाधूं जाति जाटव निवासी ग्राम मोहचा का पुरा तहसीलदार वजीरपुर।
11.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की और से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि प्रार्थी के पिता स्व0 किशोरी

के निधन के बाद उनकी आराजीयत खाता संख्या 191 खसरा नं0 740 रकवा 0.52 है0 स्थित ग्राम मोहचा का पुरा में उनके हिस्से का नामान्तकरण उनके पुत्रान संख्या 6,7,8 से 10 के पिता धाधूं तथा प्रार्थी के हक में खुल गया उक्त विरासत के नामान्तकरण में प्रार्थी अमरसिहं के नाम के स्थान पर उसका घर का बोलता नाम मुन्ना दर्ज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात जाति प्रमाण पत्र,मूल निवास प्रमाणपत्र,बैंक पासबुक,परिवार राशनकार्ड तथा आधार कार्ड में नाम अमरसिहं है तथा जमाबन्दी में घर का बोलता नाम मुन्ना होने से किसानों के लिए मिलने वाली सहायता तथा के0सी0सी0 आदि का लाभ नही मिल पाता है। यह कि उक्त त्रुटि सदभाविक त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त त्रुटि की दुरूस्ती में अप्रार्थीगण 1 ता 10 को कोई आपत्ति नही है तथा अप्रार्थीगण 1 ता 10 सहखातेदार है तथा फोरमल पार्टी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् सें अर्ज है कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 191 खसरा नं0 740 रकवा 0.52 हैक्टर स्थित ग्राम मोहचा का पुरा में प्रार्थी का नाम मुन्ना के स्थान पर अमरसिहं दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076–2079 खाता संख्या 191 ग्राम मोहचाकापुरा तथा फोटोप्रति आधार कार्ड,राशनकार्ड की फोटोप्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति मूलनिवास व जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 12.2.2021 को अपने पत्र कमांक 372 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की ।

बहस वकील प्राथी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076–2079 खाता संख्या 191 ग्राम मोहचा का पुरा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, राशनकार्ड की फोटोप्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति मूलनिवास व जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता संख्या 191 ग्राम मोहचा का पुरा में प्रार्थी का नाम मुन्ना पुत्र किशोरी दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड,राशनकार्ड व अन्य प्रमाणपत्र में में उसका नाम अमरसिहं दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम मुन्ना पुत्र किशोरी के स्थान पर अमरसिहं पुत्र किशोरी किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहचा का पुरा की हाल जमाबन्दी खाता संख्या 191 में कम संख्या 4 पर दर्ज प्रार्थी का नाम मुन्ना को हजफ कर उसके स्थान पर अमरसिहं पुत्र किशोरी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 191 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/3/.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर